राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

कमांक :एफ 4 (52) पराविपी.सी./निर्मल ग्राम पुरस्कार /2007/101 दिनांक 21-2-2011

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषयः- निर्मल ग्राम पुरस्कृत पंचायत विकास योजना 2010-11हेतु दिशा-निर्देश ।

1. **प्रस्तावना :**

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पंचायतों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य प्राप्त करने वाली पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। स्वच्छ व सुन्दर गाँव राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता है। गाँवों में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा देने व प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य में निर्मल ग्राम पुरस्कृत पंचायत विकास योजना का वित्तीय वर्ष 2007-08 से क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत सरकार से वर्ष 2007 में पुरस्कृत 23 ग्राम पंचायतों को योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में लाभान्वित किया जा चुका है।

भारत सरकार द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार-वर्ष 2008 के तहत राज्य की 141 ग्राम पंचायतों एवं निर्मल ग्राम पुरस्कार-वर्ष 2009 के तहत 43 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। इन 184 ग्राम पंचायतों एवं अनुच्छेद 2 के प्रावधानों के तहत पात्र पंचायत समिति/जिला परिषदों को निर्मल ग्राम पुरस्कृत पंचायत विकास योजना 2010-11 के तहत पुरस्कार स्वरुप राशि उपलब्ध करवाई गई है। योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाई गई राशि का उपयोग निम्न दिशा-निर्देशों के तहत किया जा सकेगाः-

2. **पात्रताः**

योजनान्तर्गत पुरस्कार राशि निम्नानुसार देय होगीः-

(1) भारत सरकार से सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रत्येक पंचायत को 1.00 लाख रूपये।

(2) यदि किसी पंचायत समिति में 10 से अधिक पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त होता है तो उस पंचायत समिति को 5.00 लाख रूपये।

(3) 30 से अधिक पुरस्कृत पंचायतों वाली जिला परिषद को 10.00 लाख रूपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा।

(4) यदि कोई जिला परिषद इस पुरस्कार के लिए पात्र बनती है एवं साथ में दो पंचायत समितियो में 10-10 गाँव यह पुरस्कार प्राप्त करते है तो ऐसे जिले को कम से कम 50 लाख रूपये पुरस्कार के रूप में मिलेंगे।

3. **योजना की कार्यकारी एजेन्सी एवं मोनिटरिंग :-**

3.1 योजनान्तर्गत पुरस्कार के रूप में ग्राम पंचायतों को प्राप्त राशि से करवाये जाने वाले कार्यो के लिए कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत एवं तद्नुसार ही पंचायत समितियों/जिला परिषदों को प्राप्त होने वाली राशि की कार्यकारी एजेन्सी सम्बन्धित पंचायत समिति/जिला परिषद होगी।

3.2 योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मोनेटरिंग जिला परिषद के स्तर पर की जायेगी।

3.3 राज्य स्तर पर इस योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मोनेटरिंग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पंचायती राज द्वारा की जायेगी।

4. **योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यो का चिन्हिकरण :**

योजनान्तर्गत स्वच्छता से संबंधित निम्न कार्य करवाये जा सकेंगें:-

(i) गंदे पानी के निकासी हेतु नाली निर्माण।

(ii) हैण्ड पम्प अथवा सार्वजनिक कुँए से व्यर्थ बहने वाले पानी के निस्तारण हेतु शॉकपिट आदि का निर्माण।

(iii) कचरा पात्रों का क्रय एवं कचरा परिवहन पर व्यय।

(iv) महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों/ पाठशालाओं/ आगनबाड़ी केन्द्रों/ पंचायत घरों में पुरुष / महिलाओं के लिये शौचालय का निर्माण।

(v) सामुदायिक शौचालयों में साफ-सफाई एवं मल-मूत्र निकासी के लिये पानी की व्यवस्था हेतु जल सम्बन्ध करवाने, सेनेटरी फिटिंग आदि कार्यो पर व्यय।

5. **राशि कहाँ व्यय की जा सकेगी :-**

5.1 ग्राम पंचायत को मिलने वाली राशि संबंधित ग्राम पंचायत में ही खर्च होगी।

5.2 पंचायत समिति को प्राप्त होने वाली राशि से स्वच्छता से संबंधित कार्य निम्न प्राथमिकता से करवाये जावेंगें:-

(i) प्रथम प्राथमिकता पुरस्कृत ग्राम पंचायत से संबंधित ग्रामों को दी जावेगी।

(ii) द्वितीय प्राथमिकता संबंधित पंचायत समिति के अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को दी जावेगी।

(iii) तृतीय प्राथमिकता ऐसे ग्रामों को दी जावेगी जिनके मध्य से होकर राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं राज्य उच्च मार्ग गुजरते है।

(iv) चतुर्थ प्राथमिकता में ऐसे ग्रामों को लिया जावेगा, जिनकी सडकों एवं गलियों में सामन्यतः पानी जमा होने से कीचड एपवं गडढे बने रहते है।

5.3 जिला परिषद को प्राप्त होने वाली राशि से स्वच्छता से संबंधित कार्य हेतु ग्राम पंचायतों का चयन 5.2 अनुसार (सम्पूर्ण जिले के परिपेक्ष्य में) किया जावेगा।

6. कार्यो की स्वीकृति -

6.1 योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यो का अनुमोदन ग्राम सभाओं में एवं पंचायत समिति/जिला परिषदों द्वारा कराये जाने वाले कार्यो का अनुमोदन उनकी साधारण सभा की बैठक में कराया जावेगा। अनुमोदित कार्यो की पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार जारी की जावेगी।

7. वित्तीय प्रबन्धन -

7.1 योजनान्तर्गत प्राप्त पुरस्कार राशि पंचायती राज विभाग द्वारा पुरस्कृत ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों के बैंक/पी. डी. खातों में सीधे ही जमा करवाई जावेगी।

7.2 जिला परिषद/पंचायत समिति को प्राप्त पुरस्कार राशि से ग्राम पंचायतों में कराये जाने वाले कार्यो के लिए, योजनान्तर्गत जारी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खाते मं संबंधित जिला परिषद/ पंचायत समिति द्वारा हस्तान्तरित की जावेगी।

शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांक :एफ 4 (52) पराविं/पी.सी./निर्मल ग्राम पुरस्कार /2007/101 दिनांक 21-2-2011

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1प्रमुख शासन सचिव , माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान ।

2निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

3.निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

4.निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।

5.निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास), राजस्थान ।

6.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

7.निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।

8 जिला प्रमुख जिला परिषद समस्त ।

9. जिला कलेक्टर समस्त

10.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त ।

11.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त ।.

12.विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त दिशानिर्देशों को ग्राम पंचायत स्तर पर भी प्रेषित करावें ।

13.समस्त अधिकारीगण ,पंचायती राज विभाग मुख्यालय।

14.प्रोग्रामर पंचायती राज विभाग मुख्यालय को वेबसाईट पर डालने बाबत ।

15.रक्षित पत्रावली ।

शासन सचिव ~~एवं~~ आयुक्त

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.4 (52)परावि./आ.प्र./नि.ग्रा.पु../2007/ 651   जयपुर, दिनांकः 25/10/10

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

गांवों में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत पुरस्कृत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में वित्तीय वर्ष 2007-08 से क्रियान्वित की जा रही निर्मल ग्राम पुरस्कृत पंचायत विकास योजना के तहत निम्नानुसार राशि रूपये 204.00 लाख (अक्षरे रूपये दो करोड चार लाख)कार्यकारी संस्थाओं के बेंक खातों में हस्तान्तरण करने की एतद् द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यकारी संस्थाओं द्वारा इस राशि का उपयोग योजना के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा सकेगा।

क्रम संख्या	कार्यकारी संस्था	राशि (लाख रूपये मे)
1.	जिला परिषद, बीकानेर	10.00
2.	पंचायत समिति लूणकरणसर, जिला-बीकानेर	5.00
3.	पंचायत समिति पदमपुर, जिला श्री गंगानगर	5.00
4	184 ग्राम पंचायतें (सलग्न परिशिष्ट अनुसार)	184.00
	योग	204.00

इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:-

माग संख्या-41
2515 -अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
198 -ग्राम पंचायतों को सहायता
(35) -निर्मल ग्राम पुरस्कृत पंचायत विकास योजना
[02] - कार्यकलाप/ गतिविधियां
12 - सहायतार्थ अनुदान/ (आयोजना) -- राशि 204.00 लाख (अक्षरे रूपये दो करोड चार लाख मात्र.

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-V) विभाग की आई.डी.संख्या 331000562 दिनांक 11.08.2010 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी की जा रही है।

संलग्नः परिशिष्ट-"अ"

(हस्ताक्षर) 25/10/10
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-
1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, आय - व्ययक, वित्त (आय-व्ययक) विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्तानुसार व्यवस्था के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर को उचित निर्देश प्रदान करावें।

7. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
8. उप शासन सचिव, आयोजना विभाग।
9. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय।
10. स्टेट लीड बैंक ऑफिसरों, को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सारणी अनुसार संबंधित जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में उक्तानुसार राशि अन्तरित अविलम्ब हो जाये, इसकी सुनिश्चितता हेतु समन्वय करने का श्रम करावें।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे एफ.वी.सी. बिलों के अनुसार डिमान्ड ड्राफ्ट/चैक तैयार करवाकर विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
12. ....बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि आपके बैंक एवं आपके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्थित जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों के खातों में पंचायतों के नाम के सम्मुख अंकित राशि सम्बन्धित खातों में अन्तरित करवाने की एक कार्य दिवस में व्यवस्था करावें तथा विभाग को अविलम्ब सूचित करें।
13. चीफ मैनेजर/ब्रान्च मैनेजर .... बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि सारणी में अंकित जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों के सम्मुख अंकित राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट तैयार कराकर अविलम्ब संबंधित निकाय को प्रेषित कराने की व्यवस्था करावें।
14. समस्त चीफ मैनेजर/ब्रान्च मैनेजर संबंधित बैंक को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सारणियों के अनुसार खाता संख्या संबंधित जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत का ही है इसकी पुष्टि उपरान्त ही राशि का अन्तरण किया जावे। गलत खाते में अन्तरण नहीं हो इसका ध्यान रखा जावे। यदि किसी भी खाते के नाम में अथवा बैंक ब्रान्च खाता संख्या में ऐसी कोई भिन्नता आती है जिसके कारणवश राशि का अन्तरण संबंधित संस्थाओं के खातों में किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हो तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पर अविलम्ब ऐसी संस्थाओं के नाम मय पंचायत समिति एवं जिला परिषद् तथा बैंक खाता संख्या मय ब्रान्च उप निदेशक (जिला आयोजना) पंचायती राज को पत्र/विशेषवाहक के माध्यम से प्रेषित करने का भी श्रम करावें।
15. समस्त चीफ मैनेजर/ब्रान्च मैनेजर संबंधित बैंक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया में किसी भी बैंक को राशि के हस्तान्तरण करने अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने इत्यादि पर किसी भी तरह का कोई कमीशन/सर्विस चार्ज आदि देय नहीं होगा।
16. आहरण एवं वितरण अधिकारी, विभाग मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त स्वीकृति के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार डिमान्ड ड्राफ्ट/चेक तैयार करवाने के लिये बैंकवार एफ.वी.सी. बिल तैयार कर कोषालय, सचिवालय परिसर को प्रेषित करने की तत्काल व्यवस्था करावें। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये कुल प्रावधान 204.00 लाख का किया गया है। एफ वी.सी.बिल पर तद्नुसार ही बजट अंकन करावें।
17. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् ....को प्रेषित कर लेख है योजना के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त राशि का अविलम्ब उपयोग हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे एवं इस स्वीकृति की प्रति सम्बन्धित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत को भी आवश्यक रूप से पृष्ठांकित करें।
18. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर) 21/10/10
शासन सचिव एवं आयुक्त

NIRMAL GRAM PURUSKAR

S.No.	GRAM PANCHAYAT	PANCHAYAT SAMITI	DISRICT	AMOUNT in Lacks	Year of awarded by GOI
1	61 F	Karanpur	Ganganagar	1.00	2008
2	8 V	Karanpur	Ganganagar	1.00	2008
3	3 H	Ganganagar	Ganganagar	1.00	2008
4	16 BB	Padampur	Ganganagar	1.00	2008
5	5 KK	Padampur	Ganganagar	1.00	2008
6	Narsingh Pura	Padampur	Ganganagar	1.00	2008
7	46 RBB	Padampur	Ganganagar	1.00	2008
8	75 LNP	Padampur	Ganganagar	1.00	2008
9	2 PP	Padampur	Ganganagar	1.00	2008
10	8 NNA	Padampur	Ganganagar	1.00	2008
11	Panni Wali	Sadulshahar	Ganganagar	1.00	2008
12	Rota Wali	Sadulshahar	Ganganagar	1.00	2008
13	22 PS	Raisinghnagar	Ganganagar	1.00	2008
14	Sardarpura Bika	Suratgarh	Ganganagar	1.00	2008
15	15 A	Anoopgarh	Ganganagar	1.00	2008
16	2 KLD	Anoopgarh	Ganganagar	1.00	2008
17	59 GB	Anoopgarh	Ganganagar	1.00	2008
18	9 LM	Anoopgarh	Ganganagar	1.00	2008
19	Jamsar	Bikaner	Bikaner	1.00	2008
20	Kolasar	Bikaner	Bikaner	1.00	2008
21	Udasar	Bikaner	Bikaner	1.00	2008
22	Jaimalsar	Bikaner	Bikaner	1.00	2008
23	8 KYD	Bikaner	Bikaner	1.00	2008
24	Keserdesar Jatan	Bikaner	Bikaner	1.00	2008
25	Palana	Bikaner	Bikaner	1.00	2008
26	Udiramsar	Bikaner	Bikaner	1.00	2008
27	17 KYD	Bikaner	Bikaner	1.00	2008
28	Jaitpur	Lunkaransar	Bikaner	1.00	2008
29	Sherpura	Lunkaransar	Bikaner	1.00	2008
30	Mahajan	Lunkaransar	Bikaner	1.00	2008
31	Rojha	Lunkaransar	Bikaner	1.00	2008
32	Piperan	Lunkaransar	Bikaner	1.00	2008
33	Shekhsar	Lunkaransar	Bikaner	1.00	2008
34	Nathwana	Lunkaransar	Bikaner	1.00	2008
35	Kaloo	Lunkaransar	Bikaner	1.00	2008
36	Rajasar urf Karnisar	Lunkaransar	Bikaner	1.00	2008
37	Dhani Pandusar	Lunkaransar	Bikaner	1.00	2008
38	Hansera	Lunkaransar	Bikaner	1.00	2008
39	Sodhwali	Lunkaransar	Bikaner	1.00	2008
40	Raner Mai Damolai	Lunkaransar	Bikaner	1.00	2008

S.No.	GRAM PANCHAYAT	PANCHAYAT SAMITI	DISRICT	AMOUNT in Lacks	Year of awarded by GOI
41	Hadla Bhatiyan	Kolayat	Bikaner	1.00	2008
42	Chani	Kolayat	Bikaner	1.00	2008
43	Akkasar	Kolayat	Bikaner	1.00	2008
44	Gadiyala	Kolayat	Bikaner	1.00	2008
45	Gajner	Kolayat	Bikaner	1.00	2008
46	Kishnasar	Nokha	Bikaner	1.00	2008
47	Udasar	Nokha	Bikaner	1.00	2008
48	Charakada	Nokha	Bikaner	1.00	2008
49	Jasrasar	Nokha	Bikaner	1.00	2008
50	Morkhana	Nokha	Bikaner	1.00	2008
51	Sarunda	Nokha	Bikaner	1.00	2008
52	Rasisar	Nokha	Bikaner	1.00	2008
53	Gajsukhdesar	Nokha	Bikaner	1.00	2008
54	Thukariasar	Dungargarh	Bikaner	1.00	2008
55	Badela	Dungargarh	Bikaner	1.00	2008
56	Momasar	Dungargarh	Bikaner	1.00	2008
57	Ridi	Dungargarh	Bikaner	1.00	2008
58	Toliyasar	Dungargarh	Bikaner	1.00	2008
59	Adsar	Dungargarh	Bikaner	1.00	2008
60	Lakhasar	Dungargarh	Bikaner	1.00	2008
61	Buntiya	Churu	Churu	1.00	2008
62	Mirwala	Taranagar	Churu	1.00	2008
63	Kalwas	Taranagar	Churu	1.00	2008
64	Bhanin	Taranagar	Churu	1.00	2008
65	Gopalpura	Sujangarh	Churu	1.00	2008
66	Bhimsana	Rajgarh	Churu	1.00	2008
67	Dhani Badi	Rajgarh	Churu	1.00	2008
68	Kangan	Rajgarh	Churu	1.00	2008
69	Mehlana Utrada	Rajgarh	Churu	1.00	2008
70	Budana	Jhunjhunun	Jhunjhunun	1.00	2008
71	Ajeetgarh	Jhunjhunun	Jhunjhunun	1.00	2008
72	Pratapura	Jhunjhunun	Jhunjhunun	1.00	2008
73	Dhandhuri	Alsisar	Jhunjhunun	1.00	2008
74	Hansasar	Alsisar	Jhunjhunun	1.00	2008
75	Jabasar	Alsisar	Jhunjhunun	1.00	2008
76	Alipur	Chirawa	Jhunjhunun	1.00	2008
77	Ardawata	Chirawa	Jhunjhunun	1.00	2008
78	Ojtoo	Chirawa	Jhunjhunun	1.00	2008
79	Shyopura	Chirawa	Jhunjhunun	1.00	2008
80	Kidwana	Surajgarh	Jhunjhunun	1.00	2008
81	Charawas	Khetri	Jhunjhunun	1.00	2008
82	Basawa	Nawalgarh	Jhunjhunun	1.00	2008

S.No.	GRAM PANCHAYAT	PANCHAYAT SAMITI	DISRICT	AMOUNT in Lacks	Year of awarded by GOI
83	Purana Rajgarh	Rajgarh	Alwar	1.00	2008
84	Seethal	Tijara	Alwar	1.00	2008
85	Alampur	Tijara	Alwar	1.00	2008
86	Mandhan	Neemrana	Alwar	1.00	2008
87	Neemrana	Neemrana	Alwar	1.00	2008
88	Kathuwas	Neemrana	Alwar	1.00	2008
89	Ajau	Kumher	Bharatpur	1.00	2008
90	Khera Thakur	Rupbas	Bharatpur	1.00	2008
91	Pachgaon	Dhaulpur	Dhaulpur	1.00	2008
92	Mahar Kala	Govindgarh	Jaipur	1.00	2008
93	Mahalaan	Dudu	Jaipur	1.00	2008
94	Bibipur Chotta	Fatehpur	Sikar	1.00	2008
95	Garinda	Fatehpur	Sikar	1.00	2008
96	Ghiraniya Bara	Lachhmangarh	Sikar	1.00	2008
97	Kirdoli	Dhod	Sikar	1.00	2008
98	Kerpura	Khandela	Sikar	1.00	2008
99	Baidh Ki Dhani	Piprali	Sikar	1.00	2008
100	Khatoo	Danta Ramgarh	Sikar	1.00	2008
101	Lamiya	Danta Ramgarh	Sikar	1.00	2008
102	Dahlod	Niwai	Tonk	1.00	2008
103	Narsar	Bhopalgarh	Jodhpur	1.00	2008
104	Noowa	Didwana	Nagaur	1.00	2008
105	Ashawari	Mundwa	Nagaur	1.00	2008
106	Indali	Kuchaman	Nagaur	1.00	2008
107	Deoli	Marwar Ju.	Pali	1.00	2008
108	Patan	Asind	Bhilwara	1.00	2008
109	Akarsada	Asind	Bhilwara	1.00	2008
110	Barana	Asind	Bhilwara	1.00	2008
111	Bankara	Jahazpur	Bhilwara	1.00	2008
112	Rampuriya	Mandal	Bhilwara	1.00	2008
113	Devriya	Raipur	Bhilwara	1.00	2008
114	Negdiya kheda	Sahara	Bhilwara	1.00	2008
115	Kachola	Mandalgarh	Bhilwara	1.00	2008
116	Singoli	Mandalgarh	Bhilwara	1.00	2008
117	Mandphiya	Bhadesar	Chittaurgarh	1.00	2008
118	Bhawaliya	Nimbahera	Chittaurgarh	1.00	2008
119	Intali	Sarada	Udaipur	1.00	2008
120	Sukhwara	Bhadesar	Chittaurgarh	1.00	2008
121	Khargada	Sagwara	Dungarpur	1.00	2008
122	Dhambola	Simalwara	Dungarpur	1.00	2008
123	Balwara	Bichhiwara	Dungarpur	1.00	2008
124	Oda Bada	Bichhiwara	Dungarpur	1.00	2008
125	Karoli	Bichhiwara	Dungarpur	1.00	2008
126	Reechhwa	Bakani	Jhalawar	1.00	2008
127	Dharoniya	Pirawa	Jhalawar	1.00	2008
128	Osav	Pirawa	Jhalawar	1.00	2008

S.No.	GRAM PANCHAYAT	PANCHAYAT SAMITI	DISRICT	AMOUNT in Lacks	Year of awarded by GOI
129	Sant Pura	Hanumangarh	Hanumangarh	1.00	2008
130	Jandwala Sikhan	Hanumangarh	Hanumangarh	1.00	2008
131	Dabali Kalan	Hanumangarh	Hanumangarh	1.00	2008
132	31 SSW	Hanumangarh	Hanumangarh	1.00	2008
133	Hirnawali	Hanumangarh	Hanumangarh	1.00	2008
134	Uttam Singh Wala	Hanumangarh	Hanumangarh	1.00	2008
135	Khotan Wali	Hanumangarh	Hanumangarh	1.00	2008
136	Dulmana	Hanumangarh	Hanumangarh	1.00	2008
137	Daniya Sar	Nohar	Hanumangarh	1.00	2008
138	Kirara Bara	Bhadra	Hanumangarh	1.00	2008
139	Sardargadiya	Bhadra	Hanumangarh	1.00	2008
140	Amri	Rajsamand	Rajsamand	1.00	2008
141	Pausand	Rajsamand	Rajsamand	1.00	2008
142	35 BB	Padampur	Ganganagar	1.00	2009
143	54 LNP	Padampur	Ganganagar	1.00	2009
144	69 LNP	Padampur	Ganganagar	1.00	2009
145	7 DD	Padampur	Ganganagar	1.00	2009
146	83 LNP	Padampur	Ganganagar	1.00	2009
147	Manjhu was	Padampur	Ganganagar	1.00	2009
148	Sawant sar	Padampur	Ganganagar	1.00	2009
149	4 NN	Padampur	Ganganagar	1.00	2009
150	20 BBI	Padampur	Ganganagar	1.00	2009
151	4 JJ	Padampur	Ganganagar	1.00	2009
152	60 LNP	Padampur	Ganganagar	1.00	2009
153	Baharam pura	Sadulshahar	Ganganagar	1.00	2009
154	Chat Ram wala	Sadulshahar	Ganganagar	1.00	2009
155	Dungarsingh pura	Sadulshahar	Ganganagar	1.00	2009
156	Hakama bad	Sadulshahar	Ganganagar	1.00	2009
157	Khatsaj war	Sadulshahar	Ganganagar	1.00	2009
158	Killawali	Sadulshahar	Ganganagar	1.00	2009
159	Mamankahada	Sadulshahar	Ganganagar	1.00	2009
160	Manfulsingh wala	Sadulshahar	Ganganagar	1.00	2009
161	Khinyeara	Lunkaransar	Bikaner	1.00	2009
162	Dhadhar	Churu	Churu	1.00	2009
163	Budania	Chirawa	Jhunjhunun	1.00	2009
164	Narhar	Chirawa	Jhunjhunun	1.00	2009
165	Solana	Chirawa	Jhunjhunun	1.00	2009
166	Sultana	Chirawa	Jhunjhunun	1.00	2009
167	Gothra	Nawalgarh	Jhunjhunun	1.00	2009
168	Kolsiya	Nawalgarh	Jhunjhunun	1.00	2009
169	Ranasar	Nawalgarh	Jhunjhunun	1.00	2009
170	Dhandan	Fatehpur	Sikar	1.00	2009
171	Gangyasar	Fatehpur	Sikar	1.00	2009
172	Mangloona	Lachhmangarh	Sikar	1.00	2009
173	Sutod	Lachhmangarh	Sikar	1.00	2009
174	Sarwari	Dhod	Sikar	1.00	2009

S.No.	GRAM PANCHAYAT	PANCHAYAT SAMITI	DISRICT	AMOUNT in Lacks	Year of awarded by GOI
175	Kanchanpur	Sri Madhopur	Sikar	1.00	2009
176	Kudli	Piprali	Sikar	1.00	2009
177	Jud	Osian	Jodhpur	1.00	2009
178	Barla Basni	Osian	Jodhpur	1.00	2009
179	Chandsama	Shergarh	Jodhpur	1.00	2009
180	Kusumbi Alipur	Ladnu	Nagaur	1.00	2009
181	Jhoontha	Raipur	Pali	1.00	2009
182	Kotari	Desuri	Pali	1.00	2009
183	Khod	Rani	Pali	1.00	2009
184	Chanar	Abu Road	Sirohi	1.00	2009
	Total			184.00	

92

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 4 (52) पराविं/आ.प्र./निर्मल ग्राम पुरस्कार/2007/860 जयपुर दिनांक :- 24/12.2010

आदेश

विभागीय प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 651 दिनांक 25.10.2010 द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कृत पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति तिजारा (अलवर) के अन्तर्गत शीथल एवं आलमपुर ग्राम पंचायत की राशि रूपये 2.00 लाख (प्रत्येक ग्राम पंचायत की राशि रूपये 1.00 लाख) स्वीकृत की गई थी, किन्तु वर्तमान में इन दोनो ग्राम पंचायतो का विलय नगरपालिका में हो गया है। विभागीय आदेश क्रमांक 768 दिनांक 30.11.10 द्वारा वित विभाग से निर्णय होने तक राशि रूपये 2.00 लाख विभाग मुख्यालय के पी.डी. खाते मे हस्तान्तरित किये गये है।

वित्त (व्यय V) विभाग की आई.डी. संख्या 331000816 दिनांक 20.12.10 द्वारा उक्त राशि रूपये 2.00 लाख को राजकोष में जमा कराने हेतु निर्देश दिये गये है। इस राशि को निम्नांकित मद में जमा कराया जाना है :-

(-) मांग संख्या -41
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
198 - ग्राम पंचायतों को सहायता
(13) - निर्मल ग्राम पुरस्कृत पंचायत विकास योजना
[02] - कार्यकलाप/ गतिविधियां
12 - सहायतार्थ अनुदान/ (आयोजना)

अतः पूर्व में जारी विभागीय प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 651 दिनांक 25.10.2010 के संबंध में विभाग मुख्यालय के पी.डी. खाता संख्या 3 से राशि रूपये 2.00 लाख आहरित करने की एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य लेखाधिकारी, (मुख्यालय)।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, (मुख्यालय) पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त स्वीकृति के आधार पर राशि पी.डी. खाता संख्या 3 से आहरित कर राजकोष में जमा करावे।
3. सांख्यिकी/अंक मिलान/रक्षित पत्रावली।

अधिशाषी अभियंता (टी.सी.)
24/12